न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

दर्ज दिनांक 04.02.2016

प्रकरण संख्या :– 12/2016 (2016/00235)
अन्तर्गत धारा :– 212 आर.टी.एक्ट

संशोधित टाईटल

उनवान प्रकरण

1. श्री उम्मेदसिंह आत्मज रणजीतसिंह राजपुत निवासी भुणास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा मृतक के बजाएः–
   1/1. श्रीमती जीवनकंवर बेवा उम्मेदसिंह राजपुत
   1/2. ऋषिराजसिंह आत्मज उम्मेदसिंह राजपुत
   1/3. अनुपमा कुमारी पुत्री उम्मेदसिंह राजपुत
   1/4. निरूपमा कुमारी पुत्री उम्मेदसिंह राजपुत
   सर्व निवासी भुणास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती नजमुन निशा पुत्री अब्दुल हमीद कुरेशी पत्नि श्री कमरूल हक कुरेशी निवासी राजा कॉलोनी, मल्ला तलाई, उदयपुर जिला भीलवाड़ा।
2. श्रीमती बहारून निशा पुत्री श्री अब्दुल हमीद कुरेशी पत्नि श्री मोहम्मद उमर बगवानी निवासी हाल मार्फत मुख्तार अहमद कुरेशी, 66 मेवा फरोस स्ट्रीट, भड़भुजा घाटी, उदयपुर जिला उदयपुर।
3. श्रीमती महरून निशा पुत्री श्री अब्दुल हमीद कुरेशी निवासी हाल मार्फत मुख्तार अहमद कुरेशी, 66 मेवा फरोस स्ट्रीट, भड़भुजा घाटी, उदयपुर जिला उदयपुर।
4. श्रीमती कमरून निशा पुत्री श्री अब्दुल हमीद कुरेशी पत्नि श्री मोहम्मद तकी फरीदी निवासी 61 मरूधर नगर, कमला नेहरू हॉस्पीटल के पास ,पाल रिंग रोड़, चौराघर, जोधपुर (राज0)
5. श्री मुख्तार अहमद कुरेशी आत्मज अब्दुल हमीद कुरेशी निवासी हाल मार्फत मुख्तार अहमद कुरेशी, 66 मेवा फरोस स्ट्रीट, भड़भुजा घाटी, उदयपुर जिला उदयपुर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर (भीलवाड़ा)

——विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीगणः श्री पर्वतसिंह चुण्डावत
अधिवक्ता विपक्षीगणः श्री मनोहर लाल बापना

दिनांक 14.08.2020

निर्णय

प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम वाघपुरा पटवार हल्का ढोसर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की साबिक आराजी संख्या 6 व साबिक आराजी संख्या 5 अन्य आराजियात के साथ स्थित थी। विपक्षीगण के पिता डॉ0 अब्दुल हमीद [illegible] के पिता स्वर्गीय रणजीत सिंह का ईलाज करते थे उनका प्रार्थी के पु[illegible] आना जाना था। प्रार्थी का भी उन्होंनें ईलाज किया था। उस समय [illegible] का फायदा उठाकर डॉ0 कुरेशी ने साबिक आराजी संख्या 06 मीन से 06 बीघा 14 बिस्वा व साबिक आराजी संख्या 05 मे से 18 बीघा 06 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 02 रकबा [illegible]5 बीघा भूमि की रजि[illegible]की पत्नी श्रीमती जुबुनिशा के नाम पर प्रार्थी की बिना जानकारी के करवा ली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:43:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

यह कि उक्त विवादित आराजियात की जो विवादित रजिस्ट्री करवायी गयी, उसमें विक्रय की गई भूमि के पडौस इस प्रकार है:–

पूर्व:– प्रार्थी विकेता की दीगर भूमि

पश्चिम:– गठिला फार्म की आराजी

उत्तर:– नाला सरकारी

दक्षिण:– प्रार्थी विक्रेता की शेष आराजी

अर्थात विक्रयपत्र में उपरोक्त वर्णित पड़ौसों के मध्य की आराजियात विक्रय की गई तथा इस विक्रय के आधार पर विक्रय की गई भूमि के दक्षिण में प्रार्थी की शेष भूमि आराजियात स्थित है।

यह कि तहसील सहाड़ा का नवीन भू प्रबंध हुआ, जिसमें ग्राम बाघपुरा का भी नवीन भू प्रबंध किया गया , जिसमें उक्त साविक आराजियात में से विक्रयशुदा भूमि के नवीन आराजी नं0 04 रकबा 0.35 हे0 , आराजी नं0 05 रकवा 0.19 हे0, आराजी नं0 06 रकबा 0.50 हे0, आराजी नं0 07 रकबा 0.20 हे0, आराजी नं0 08 रकबा 0.03 हे0, आराजी नं0 09 रकवा 0.08 हे0, आराजी नं0 10 रकबा 0.69 हे0, आराजी नं0 11 रकबा 1.20 हे0, आराजी नं0 13/416 रकवा 1.09 हे0, आराजी नं0 12/399 रकबा 0.24 हे0, आराजी नं0 15/400 रकवा 0.06 हे0, आराजी नं0 16/401 रकबा 0.08 हे0, आराजी नं0 17/402 रकवा 0.08 हे0, आराजी नं0 19/403 रकबा 0.05 हे0 , आराजी नं0 20/404 रकवा 0.20 हे0, आराजी नं0 21/405 रकवा 0.36 हे0 कुल किताा 16 रकबा 5.40 हे0 कायम किये।

यह कि भू प्रबंध अधिकारियों एवं कर्मचारियों को साबिक नक्शा व राजस्व नक्शा में बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के परिवर्तन करने का कोई अधिकार न होते हुए भी विपक्षीगण की माता जैबुनिशा से मिलीभगत कर साबिक नक्शे के मुकाबले नवीन नक्शे को तरमीमात नहीं कर गलत तरीके से तरमीम कर दिया, जिससे कि विपक्षीगण के उक्त विवादग्रस्त भूमियां सड़क के पास आ जावे एवं जिससे उन्हें अवैध एवं अनुचित लाभ दिलाने की गरज से प्रार्थी के द्वारा विक्रय की गई भूमि कके अतिरिक्त शेष रही भूमि साबिक आराजी संख्या 06 जिसके नये 12 के पश्चिम मे नये नम्बर 12/399 रकवा 0.24 हे0 डाल कर उसे विपक्षीगण की माता के नाम पर दर्ज कर दिया गया व नक्शे में दर्शित इस नम्बर की भूमि को प्रार्थी द्वारा विक्रय ही नहीं किया गया एवं इस भूमि पर प्रार्थी का ही सतत रूप से कब्जा चला आ रहा है।

यह है कि इस प्रकार प्रार्थी की साबिक आराजी संख्या 06 के शेष भाग में भू –प्रबंध अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा आराजी संख्या 5 मीन के नवीन नम्बर 15/400 रकबा 0.06 हे0, आराजी नं0 16/401 रकवा 0.08 हे0, आराजी नं0 17/402 रकवा 0.08 हे0, आराजी नं0 19/403 रकवा 0.05 हे0 , आराजी नं0 20/404 रकबा 0.20 हे0, आराजी नं0 21/405 रकवा 0.36 हे0 को गलत तरीके से नवीन नक्शे में सड़क के पास फीट करते हुए और गैर कानूनी तरीके से विपक्षीगण के नाम दर्ज [illegible] गये विवादागस्त विक्रयपत्र में पड़ौस अंकित किये है। उसमें दक्षिण में प्रार्थी [illegible] आराजियात बची हुई है। उसमें इन नम्बरों को फिट कर दिया गया है [illegible] गई आराजियात पर प्रार्थी का ही कब्जा निरन्तर व [illegible] रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:43:39 IST
Reason: SelfAttested

यह कि तथाकथित बिकावनामा में दर्ज पड़ौस के अ[illegible]र विक्रय की गई समस्त भूमि प्रार्थी की शेष भूमि के उत्तर में तथा नाले से दक्षिण में व गै[illegible]ड़ गठिला फार्म के पूर्व में स्थित है। लेकिन भू प्रबंध अधिकारी एवं कर्मचारियों ने गैर कानूनी तरीके से प्रार्थी की शेष आराजियात के

2.

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

रकबे में विपक्षीगण के नाम दर्ज भूमि को फिट कर दिया जबकि न तो विपक्षीगण का कोई कब्जा ही है तथा न ही अधिकार है।

यह कि प्रार्थी की साबिक आराजियात के साबिक नक्शे व मौके औश्र कब्जे के अनुसार नया नक्शा व राजस्व रेकार्ड तरमीम कर इन्द्राज दुरुस्ती करवाया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है।

यह कि विवादाग्रस्त भूमि गलत रूप से विपक्षीगण के नाम पर दर्ज होकर गैर कानूनी व गलत रूप से नक्शे में सड़क के पास तरमीत हो जाने से विपक्षीगण का कब्जा न होते हुए भी दिनांक 18 जनवरी 2016 को नाजायज रूप से कब्जा करना चाहा औश्र मुझ प्रार्थी ने मना किया तो प्रार्थी के साथ्झ लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हुए तथा वर्तमान में उक्त भूमि में से कुछ भूमि सड़क में अधिग्रहित हुई है, जिसकी मुआवजा राशि भी विपक्षीगण उठाने हेतु तत्पर है। जिससे प्रार्थी को उक्त वाद प्रस्तुत करने हेतु विवश होना पड़ा।

यह कि उपरोक्त कारणों से प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित है तथा सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी वादी के पक्ष में ताफैसला वाद विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं फरमायी गयी और विपक्षीगण वादी को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल कर देगे व आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय , हस्तान्तरण/ खुर्द बुर्द कर देंगे तो वादी प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी तथा पक्षकारान के मध्य अनेका अनेक विवाद पैदा हो जायेगें। जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नहीं होगा।

अतः प्रार्थना हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगया के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की पारित फरमायी जावे कि विपक्षीगण प्रार्थी को ग्राम बाघपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित नवीन आराजी नम्बर 12/399, 15/400, 16/401, 17/402, 19/403, 20/404, 21/405 से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नही करे और न ही किसी अन्य से करावें तथा प्रार्थी के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा व व्यवधान पैदा नहीं करें , न आधिपत्य हटावें, न ये कृत्य स्वयं करें, न अन्य से करावें तथा न ही वादग्रस्त आराजीयात के विक्रय /हस्तान्तरण संबंधी दस्तावेज तैयार कर उनका पंजीयन करावे व न ही फोरलाईन में जाने का मुआवजा उठावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 04.02.2016 को पंजिबद्ध किया जाकर विपक्षी को सम्मन नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 6 पेरोकार सरकार औपचारिक पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं अतः जवाबदेही बंद की जाती है। विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को निरमिथ्या, कपोलकल्पित व विधि के विरूद्ध होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया तथा साथ ही निवेदन किया कि विपक्षीगण की माता श्रीमती जेबुननिशा ने एक वादपत्र प्रार्थी तथा उसके अन्य साथियों के विरूद्ध न्यायालय आपमें धारा 188 रा0का0अधिनियम का प्रस्तुत किया था वाद में विप[illegible] में होने से विपक्षीगण की माता ने महरूननिशा को पावर ऑफ अटोर्नी दे दी, [illegible]रूननिशा ने वाद लड़ा, बयान दिये व वाद डिक्री कराया जिसके विरूद्ध [illegible] अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी , भीलवाड़ा के [illegible] की जो रिमाण्ड किये जाने का आदेश हुआ जिस पर विपक्षीगण की ओर से माननीय रा[illegible] मण्डल अजमेर में अपील पेश की जो स्वीकार हुई और भू-प्रबंध अधिकारी भीलवाड़ा का निर्णय अपास्त हुआ व उपखण्ड अधिकारी महो0 गंगापुर का निर्णय बहाल रहा।

3.

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:43:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

यह कि प्रार्थी व अन्य की ओर से माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय की नजरसानी की वह भी खारिज हो गई जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट याचिका प्रस्तुत की वह भी उभयपक्ष से सुनवाई होने के पश्चात् खारिज फरमाई गई, इस प्रकार सभी प्रकरणों में विपक्षीगण ही कामयाब रहे। ऐसी स्थिति में प्रार्थी किसी प्रकार की राहत पाने का पात्र नहीं है। इस प्रकार विपक्षीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को मनगंढ़त व असत्य होना बताकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट का खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

मैनें पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित है तथा सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी वादी के पक्ष में ताफैसला वाद विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं फरमायी गयी और विपक्षीगण वादी को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल कर देगे व आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय , हस्तान्तरण/ खुर्द बुर्द कर देंगे तो वादी प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी तथा पक्षकारान के मध्य अनेका अनेक विवाद पैदा हो जायेगे। जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नहीं होगा। अतएवं

—::आदेश::—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि ग्राम बाघपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित नवीन आराजी नम्बर 12/399, 15/400, 16/401, 17/402, 19/403, 20/404, 21/405 से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नही करे और न ही किसी अन्य से करावें तथा प्रार्थी के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की व्यवधान पैदा नहीं करें , न आधिपत्य हटावें, न ही वादग्रस्त आराजीयात के विक्रय /हस्तान्तरण संबंधी दस्तावेज तैयार कर उनका पंजीयन करावे व न ही फोरलाईन में जाने का मुआवजा उठावे मूलवाद के ताफैसला मौके की यथा स्थिति बनाये रखें।

आदेश दिनांक 14.08.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर

सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:43:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner